

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1824

दिनांक 13/12/2021

प्रार्थी :-

1. लिछमणाराम पुत्र शेराराम
जाति जाट, निवासी खारिया डेर
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. अखाराम 2. ईशाराम 3. अमराराम 4. मेहाराम पि.
ताजाराम 5. वगताराम 6. वीरमाराम 7. पेमाराम पि.
केसराराम 8. मीरादेवी पत्नि केसराराम 9. हीराराम
पुत्र गंगाराम 10. बांकाराम पुत्र तिलोकाराम
11. चेनाराम पुत्र शेराराम 12. लिखमाराम
13. करनाराम 14. किरताराम पि. हरजीराम 15. धापूदेवी
पत्नि हरजीराम, जातियान जाट,
निवासी खारिया डेर
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 90/2021

दिनांक : 17.12.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड के मौजा खारिया डेर के खेत खसरा सं. 403 रकबा 02.01 बीघा, खसरा सं. 534/404 रकबा 14.00 बीघा, खसरा सं. 535/404 रकबा 58.13 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 1825 to 1828

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी लिछमणाराम
3. विप्रार्थीगण अखाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

(भाग 111, 128 के अन्तर्गत)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 13/12/2021



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन